ख
म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
आज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर
अपील नं. 59/2022 जिरम 225 आर.टी.एक्ट.
बअनवान उगमसिंह बनाम भैरूसिंह वगै.

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

26.08.2022

पीठासीन अधिकारीः— श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस.

उपस्थितः— श्री राणाराम गौड़ अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
श्री सुनिल के गेराजा अधिवक्ता रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय

दिनांक 26.08.2022

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 225 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 51/2014 बअनवान भैरूसिंह वगै. बनाम उगमसिंह वगै. में पारित आदेश दिनांक 28.03.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उत्तरदाता संख्या 01 से 05 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत कर अभिकथन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि मौजा बालासर के खेत खसरा नम्बर 372/195 रकबा 42.09 बीघा व खेत खसरा नम्बर 373/195 रकबा 42.09 बीघा में आवागमन हेतु विप्रार्थीगण अपीलकर्ता के खेत खसरा नम्बर 401/425, 399/224 से रास्ता दिये जाने हेतु पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत आवेदन में दिनांक 23.11.2017 को आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध हाजा न्यायालय में अपील पेश हुई जो स्वीकार कर प्रकरण को सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं एवं पक्षकारान की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता उभयपक्ष एवं उपस्थित पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से आपसी सहमती से राजीनामा कर उभयपक्ष के हस्ताक्षरयुक्त प्रस्तावित रास्ता परिषिष्ट "क" पेश कर उसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने पर सहमति जाहिर की। रेस्पोडेंटस संख्या 01, 04, 05 एक राजीनामा हेतु आवेदन पेश कर खसरा नं. 224 व 394/225 में क्रमश11–11 बिस्वा जमीन जाती है जो हम जमीन के बदले जमीन देने को तैयार है। इसमें खसरा नं. 224(उगमसिंह को) के सेढे पर खसरा नं. 373/195 ताजुसिंह देगा व खसरा नं. 394/225 (मिश्रीसिंह को) के सेढे पर खसरा नं.372/195 जतना देगी। उपखण्ड अधिकारी शिव के पारित आदेश अनुसार तारिक 22.11.2017 को तहसील शिव की बुक संख्या 0010747 के रसिद संख्या 067 में मेने 60957 रूपये जमा करावे है। वह मुझे वापिस दिलावे। इसमें किसी का पूर्व खर्चे व होने वले खर्चे का कोई लेवादेवी नहीं होगी सबका अपना अपना खर्चो होगा। उपरोक्त राजीनामा प्रस्ताव

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

को अपीलांट अधिवक्ता एवं रेस्पोडेंटस संख्या 06 के अधिवक्ता ने स्वीकार किया। संलग्न परिशिष्ट 'क' में बिन्दु संख्या ए.बी एवं सी तक स्वीकार है। उपरोक्तानुसार आदेश पारित करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की उपस्थिति एवं समझाईश के फलस्वरूप लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर पेश रास्ते के प्रस्ताव को स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आराजी खसरा संख्या 394/225 में प्रस्तावित रास्ता बिन्दु संख्या ए से बी रास्ते के रूप में जाने वाली भूमि का रकबा 11 बिस्वा की क्षतिपूर्ति के रूप में खसरा संख्या 372/195 में से खसरा संख्या 394/225 की गाठ के सहारे–सहारे (परिशिष्ट 'क' में लाल डॉट डॉट के अनुसार) 11 बिस्वा भूमि दी जावे। खसरा संख्या 224 में प्रस्तावित रास्ता बिन्दु संख्या ए से बी रास्ते के रूप में जाने वाली भूमि का रकबा 11 बिस्वा की क्षतिपूर्ति के रूप में खसरा संख्या 373/195 में से खसरा संख्या 224 की गाठ के सहारे–सहारे (परिशिष्ट 'क' में लाल डॉट डॉट के अनुसार) 11 बिस्वा भूमि दी जावे। खसरा संख्या 373/195 में आने जाने हेतु बिन्दु संख्या बी से सी का रास्ता खसरा संख्या 372/195 में से 16 फीट चौड़ाई में दिया जाता है जिसके बदले में खसरा संख्या 372/195 के खातेदारों ने किसी भी प्रकार के प्रतिफल लिये बिना रास्ता देना स्वीकार किया। प्रस्तावित रास्ते की क्षतिपूर्ति भूमि के बदले भूमि देकर की गई है इसलिए प्रार्थीगण द्वारा तहसील शिव मे उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.11.2017 की पालना में बुक संख्या 0010747 रसिद संख्या 067 में जमा करवाई राशि रू 60957 का नियमानुसार प्रार्थीगण को भुगतान किये जाने के आदेश तहसीलदार शिव को दिये जाते है। उभयपक्ष की सहमति के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट जरिये राजीनामा स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2022 में उपरोक्तानुसार संशोधन किया जाता है। परिषिष्ट "क" इस आदेश का अभिन्न अंग होगा तथा इसी अनुरूप राजस्थान सरकार के पक्ष में गैर मुमकिन रास्ते का अमल दरामद करने एवं उपरोक्तानुसार क्षतिपूर्ति के रूप में 11–11 बिस्वा भूमि खसरा संख्या 224 व 394/225 के खातेदारों के खाते में दर्ज करते हुए तरमीम करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है कि आदेश की पालना कर न्यायालय को पालना रिपोर्ट पेश करे।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 26.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर